निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 45/2022
दायरा दिनांकः–22.06.2022
निर्णय दिनांकः– 25.02.2025

उनवान

1. गुलाब बाई आयु 76 वर्ष पुत्री अमरा जाति भील निवासी तैलनी तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. अनिता बाई पत्नि चैनसिंह जाति भील तैलनी
2. चैनसिंह आत्मज रामलाल जाति भील तैलनी
3. रामलाल आत्मज दौलतराम जाति भील तैलनी
4. रामेश्वर आत्मज रामलाल जाति भील तैलनी
5. बंकट आत्मज रामलाल जाति भील तैलनी
6. जगदीश आत्मज रामलाल जाति भील तैलनी समस्त निवासीगण तैलनी तहसील छबडा (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 25.02.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चिंरोजी लाल भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल तैलनी तहसील छबडा की खसरा नम्बर 205 रकबा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 245 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा 253 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किता 3 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जिन्हे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीत में प्रार्थीया का 1/2 भाग तद्नुसार 1 बीघा 19 बिस्वा एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 का 1/2 भाग तद्नुसार 1 बीघा 19 बिस्वा का हिस्सा है। अनिता बाई के द्वारा अर्सा 2 वर्ष पूर्व सहखातेदार कल्लीबाई से अविभाजित स्थिति में भूमि खरीद किया आराजीयात वादग्रस्त का मौके पर विभाजन विभाजन हा रहा है वादनी के 3 गुनी (पूर्वी) तरफ एवं प्रतिवादीया अनिता बाई का पश्चिमी तरफ का हिस्सा एवं कब्जा है प्रतिवादीगण एक ही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वार के लोग है प्रतिवादी नम्बर 1 के प्रतिवादी नम्बर 2 पति प्रतिवादी नम्बर 3 ससुर एवं प्रतिवादी नम्बर 4,5,6, देवर जेठ है। प्रतिवादीगण लडाकु एवं झगडालु प्रवृति के लोग है जिन्होने पूर्व मासिर कल्लीबाई से कपट पूर्वक एवं दबाव बनाकर अपने पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करवाया है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण वादीया की भूमि पर दबाव बनाकर अपना कब्जा स्थापित करने को आमादा है एवं जमीन हथियाना चाहतें है प्रार्थीया के भूमि से वंचित करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण शारीरीक एवं आर्थिक तौर पर काफी सम्पन्न लोग है। दिनांक 11.06.2022 शनिवार के दिन समस्त प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त पर आये वादीया को धमकी दी कि वादग्रस्त आराजीयात पर हम बलपूर्वक कब्जा करेंगे यदि कोई भी व्यक्ति ने रूकावट पैदा की तो जान से मार देगें धमकी देते हुऐ जमीन को हांकने को तत्पर है वादीया ने रोका तो वादीया के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई जिसमं रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई डाक्टरी मुआयाना कराया। भविष्य में जमीन पर बलपूर्वक अप्रार्थीगण प्रार्थीया को बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण के द्वारा किये गयें उपरोक्त आपराधिक कृत्य से पूर्वरूपेण स्पष्ट हो गया है कि यदि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपरिति क्षति होगी।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाब बन्द किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम तेलनी सम्वत् 2076—79 खाता संख्या 120 नकल जमाबन्दी ग्राम तेलनी सम्वत् 2076—79 खाता संख्या 50 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तेलनी तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/2 एवं अप्रार्थी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है अनीता बाई द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व सहखातेदारान कल्ली बाई से आविभाजित स्थिति में भूमि खरीद की थी। विवादित भूमि का मौके पर विभाजन हो रहा है वादनी का पूर्वी तरफ एवं अप्रार्थी क्रम 1 का पश्चिमी तरफ का हिस्सा एवं कब्जा है अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने खातेदार कल्ली बाई से कपट पूर्वक दबाव बनाकर अपने पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करवाया है अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो शारीरिक व आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न लोग है। कई बार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई प्रार्थीया द्वारा मना किया तो प्रार्थीया के साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट थाना में दर्ज करवाई गई। डाक्ट्री मुआयना कराया गया। यदि अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में जबरन बल पूर्वक प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा कर बेदखल कर लिया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी तेलनी सम्वत् 2076—79 खाता संख्या 120 के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

या एवं अप्रार्थी क्रम 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है अप्रार्थी क्रम 1 व उसके परिवार सदस्य जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 है अप्रार्थी क्रम 1 के परविार के सदस्य है जो प्रार्थीया के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहतें है विवादित आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसका प्रार्थीया विभाजन कराने के लिए वाद पत्र पेश किया है प्रार्थीया द्वारा मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराना चाहती है। चूकि शामलाती खातेदारी में सभी काश्तकारों का प्रत्येक हिस्से पर बराबर हक होता है एवं वादी द्वारा मौके की वर्तमान स्थिति के बारे में प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकन नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)